


22.3.22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची व जर्मी उपस्थित नहीं हुए। प्राची व प्राची वकील को बार-बार न्यायालय समय तक आवाज़ लगावारी गई। फिर भी अनुपस्थित रहे और नाही बार-बार अवसर दिए जाने पर अप्राची गवा की गलती करवारी गयी। अतः पत्रावली अहम हाजरी, अहम पेशगी अनर्गत आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल सुमा लेकर नम्बर से कम लेकर हाबिल दफ्तर हो। निर्णय पहले न्यायालय में सुनाया गया।


उपसंह अधिकारी
साँभर लेक

